फर्द अहकाम

अमामीत बनाम राज० सरकार व अन्य

लय

49/16 वाद

विवरण संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10/12/16	प.फ. उपरो पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय व डिग्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–49 / 2016

उनवान

1. अमरप्रीत सिंह पुत्र जुझारसिंह, जाति जट सिक्ख, निवासी हनुमानगढ जंक्शन, तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. गंगाराम पुत्र हरबक्स जाति जाट निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. भवानी सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह
4. विशन सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह
5. समन्दर कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
6. किरण कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
7. कमल कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
8. बिरजु कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
9. हिम्मत कंवर पत्नी रामसिंह
10. प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह
11. राजवीर पुत्र रामसिंह
12. दीपिका पुत्री रामसिंह
13. रेणु कंवर पुत्री रामसिंह
14. महेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह
15. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह
16. दिलिप सिंह पुत्र भंवर सिंह
17. जितेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह
18. शिम्भु सिंह पुत्र मगन कंवर
19. विक्रम सिंह पुत्र मगन कंवर
20. पूरण सिंह पुत्र मगन कंवर
21. मगन कंवर पुत्री रघुनाथ सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)।
22. सुभाष चन्द्र पुत्र मामराज निवासी ग्राम गुढा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 131 भू–राजस्व अधिनियम व 151 सीपीसी

निर्णय

निर्णय दिनांक :–10.12.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व अन्य सहखातेदारों की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्टेयर ग्राम बाढावाली, पटवार हल्का ढोढसर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

में स्थित है। जिस पर सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर मनबट के आधार पर बंटवारा कर काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। भू प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान नक्शे को कम कर दिया गया, लेकिन मौके पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान नक्शे को नाप के अनुसार नहीं बनाया जाकर नये तरीके से बना दिया गया जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी नक्शे में वादी व प्रतिवादीगण के नक्शे का पूर्व नक्शे के अनुसार नहीं बनाया जाकर नये तरीके से नाप में कम बनाया गया है। भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। वादी की खातेदारी भूमि को भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थी वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शे अनुसार नहीं बनाया जाकर नक्शे को कम कर दिया गया, जिसका गलत होना प्रथम दृष्टया नक्शे से ही स्पष्ट है जो समस्त इन्द्राजात अवैध शून्य व वादी के हक व अधिकारों के विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये राजस्व नक्शे में उक्त प्रकार भयंकर गलत कर कानूनी भूल की है तथा उक्त आराजीयात के नक्शे को पूर्व के अनुसार नहीं बनाया जाकर नई तरह से बना दिया जो भयंकर इन्द्राजात की भूल है तथा भू–प्रबंध विभाग पूर्व इन्द्राजात को वर्तमान में दौराने के ही अधिकार दिये गये थे। किसी भी खातेदार के नक्शे व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था तथा भू–प्रबंध विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी को वर्तमान नक्शे में परिवर्तन किया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है, जो दुरूस्त किया जावें। ऐसे न्यायोचित एवं आवश्यकीय है कि हाल नक्शा भू–प्रबंध विभाग के तहत गलत नक्शे को दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शे अनुसार बनाये जाने के आदेश की कृपा करें। दुरूस्ती के आदेश श्रीमान द्वारा नहीं किये गये तो वादी भूमि जो मद नं. 1 में बिना किसी सक्षम कार्यवाही के बिना किसी न्यायालय आदेश के बिना बेवजह कम हो जाएगी तथा वाद बाहुलता बढेगी।

वादी ने अपने वाद पत्र में निम्न अनुतोष चाहा है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्टेयर ग्राम बाढावाली पटवार हल्का ढोढसर, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुयर की वर्तमान नक्शे की सीमाओं को पूर्व नक्शे अनुसार कब्जे अनुसार बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी को दिनांक 18.08.2017 को पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अनुतोष दिया जाता है तो मिन जवाब दाता को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 14 ता 17 के अधिवक्तागण ने जवाब पेश नहीं कर तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी अमर प्रीत सिंह पुत्र जुझार सिंह जाति जाट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन किया है कि भू—प्रबंध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने ग्राम बाढावाली के हाल खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्टेयर का नक्श गत नक्शे के अनुसार नहीं बनवाकर छोटा कर दिया है जिसे गत नक्शे के अनुसार सही बनाया जावे जिसके संबंध में चाही गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है:—

ग्राम बाढावाली की जमाबन्दी संवत् 2073—76 के अनुसार खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्टेयर की खातेदारी रामसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह हिस्सा 187 / 1376 भवानी सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह हिस्सा 1 / 16 विशनसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह हिस्सा 91 / 1376 अमर प्रीत सिंह पुत्र जुझार सिंह हिस्सा 452 / 1720 वगैरह के नाम से है तथा खसरा नम्बर 759 / 2305 रकबा 1.00 हैक्टेयर की खातेदारी महेन्द सिंह ओला पुत्र जयकरण ओला हिस्सा 1 / 2 सरीता देवी पत्नी महेन्द्र सिंह ओला हिस्सा 1 / 2 जाति जाट सा. एरडावता, तहसील चीडावा जिला झुंझनू के नाम से है। खसरा नम्बर 189 रकबा 2.33 हैक्ट0 की खातेदारी विशनसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह हिस्सा 1 / 3 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा चौमू भवानी सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह हिस्सा 1 / 3 हिम्मत कंवर पत्नी रामसिंह, प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह, रेणू कंवर, दीपीका कंवर पिता रामसिंह, राजवीर सिंह पुत्र रामसिंह ना. बा. संरक्षक माता हिम्मत कंवर हिस्सा 1 / 3 जाति राजपूत सा.देह के नाम से है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्ट0 गत ख.न. 492 से हाल खसरा नम्बर 189 रकबा 2.33 हैक्ट0 व ख.नं. 759 / 2305 रकबा 1.00 हैक्ट0 गत ख.नं. 151 से बने है। गत जमाबन्दी संवत् 2033—36 के अनुसार गत ख.नं. 151 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी रूघनाथ सिंह पुत्र महादेव सिंह जाति राजपूत के नाम एवं गत ख.नं. 492 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी रूघनाथ सिंह पि.मु. सादुलसिंह जाति राजपूत के नाम से थी। गत ख.नं. 151 के रकबे को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर 2.63 हैक्टेयर व ख.नं. 492 के रकबे को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर 2.42 हैक्टेयर रकबा बनता है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल बनाते समय गत खसरा नम्बर 151 के हाल खसरा नम्बर 189 व 759 / 2305 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर दर्शाया है। जो गत खसरा नम्बर 151 के रकबे से 0.70 हैक्टेयर अधिक है। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 492 के हाल खसरा नम्बर 759 रकबा 1.72 हैक्टेयर दर्शाया है जो गत ख.नं. 492 के रकबे से 0.70 हैक्टेयर कम है। उक्त खसरा नम्बरान का सही मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार होना चाहिए

	हाल खसरा नम्बर		गत खसरा नम्बर	
	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1.	189	2.33	151मि.	2.33
2.	759 / 2305	1.00	151मि.	0.30
			492 मि.	0.70
3.	759	1.72	492मि.	1.72

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी नकल नक्शा दिनांक 24.11.2015 का हाल नक्शे से मिलान करने पर खसरा नम्बर 492 की 0.40 हैक्ट0 भूमि सड़क में शामिल की हुई है। जिसे संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 759 के पश्चिमी व दक्षिणी दिशा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। ग्राम बाढावाली के हाल खसरा नम्बर 189, 759/2305 व 759 के नक्शे की रकबा बरारी करने पर क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है:–

	खसरा नम्बर	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल	वास्तविक क्षेत्रफल रकबा बरारी से	अन्तर	
				कमी	बेशी
1.	189	2.33	2.63	–	0.30
2.	759/2305	1.00	1.00	–	–
3.	759	1.72	1.02 +0.40(सड़क)	0.30	–

खसरा नम्बर 759 के नक्शे में उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 759/2305 की 0.30 हैक्ट0 भूमि एवं ख.नं. 759/2305 के नक्शे में उत्तर की तरफ ख.नं. 189 की भूमि मिला दी जाती है तो गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती हो जाएगी एवं किसी भी काश्तकार की भूमि का रकबा एवं ग्राम का रकबा प्रभावित नहीं होगा। मौका अनुसार ख. नं. 759 में उत्तर की तरफ 0.62 हैक्ट0 पर पुख्ता बाऊण्ड्रीवॉल बनी हुई है शेष भूमि खाली है। तहसीलदार चौमू ने उक्त रिपोर्ट मय नक्शे के पेश की है। जो कि शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट अनुसार गत खसरा नम्बर 492 की 0.40 हैक्ट0 भूमि सड़क में शामिल की हुई जिसे संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 759 के पश्चिम व दक्षिण दिशा में लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 759 के नक्शे में उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 759/2305 की 0.30 हैक्ट0 भूमि एवं खसरा नम्बर 759/2305 के नक्शे में उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 189 की भूमि मिला दी जाती है तो गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती हो जावेगी व किसी भी काश्तकार का रकबा भी प्रभावित नहीं होगा। ऐसे में वादी का हाल नक्शा गत नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल नक्शे को गत नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–49 / 2016

उनवान

1. अमरप्रीत सिंह पुत्र जुझारसिंह, जाति जट सिक्ख, निवासी हनुमानगढ जंक्शन, तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. गंगाराम पुत्र हरबक्स जाति जाट निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. भवानी सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह
4. विशन सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह
5. समन्दर कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
6. किरण कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
7. कमल कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
8. बिरजु कंवर पुत्री रूघनाथ सिंह
9. हिम्मत कंवर पत्नी रामसिंह
10. प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह
11. राजवीर पुत्र रामसिंह
12. दीपिका पुत्री रामसिंह
13. रेणु कंवर पुत्री रामसिंह
14. महेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह
15. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह
16. दिलिप सिंह पुत्र भंवर सिंह
17. जितेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह
18. शिम्मु सिंह पुत्र मगन कंवर
19. विक्रम सिंह पुत्र मगन कंवर
20. पूरण सिंह पुत्र मगन कंवर
21. मगन कंवर पुत्री रघुनाथ सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)।
22. सुभाष चन्द्र पुत्र मामराज निवासी ग्राम गुढा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 131 भू–राजस्व अधिनियम व 151 सीपीसी</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुताबिक तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल नक्शे को गत नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा........ सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 13:47:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: